



प्रेस नोट

दिनांक 14.06.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.06.2025 को थाना राठ पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति को आश्रय ग्रह मल्हौवा रोड़ कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

प्रिन्स राजपूत उर्फ बन्टा पुत्र शत्रुघन सिंह (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी मुहल्ला औडेरा रोड़ सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 283/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ हमीरपुर।
2. मु0अ0सं0 148/2024 धारा 452/323/504/506/427 भादसं0 थाना राठ हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 विनेश गौतम
2. का0 डेगराज
3. का0 अभिषेक राजपूत

